



**કાર્યાલય :-પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ,
ઝારખણ્ડ, રાંચી**

વન મંત્રાલય, ડોરણા, રાંચી

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



પત્રાંક : 01 / યો0બ૦-63 / 2017-717 દિનાંક :— 11.06.2018

પ્રેષક,

પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ
ઝારખણ્ડ, રાંચી ।

સેવા મેં,

વન પ્રમણલ પદાધિકારી, હજારીબાગ પણિચમી વન પ્રમણલ, હજારીબાગ / ચતુરા દક્ષિણી વન પ્રમણલ / ગિરિડીહ પૂર્વી વન પ્રમણલ / દેવઘર વન પ્રમણલ ।

વિષય :—

વિત્તીય વર્ષ 2017-18 સે 2021-22 કે અંતર્ગત વિત્તીય વર્ષ 2018-19 મેં કાર્યાન્વિત કી જાને વાલી “અધિસૂચિત વનભૂમિ કે બાહર વૃક્ષારોપણ” યોજના (અનુસૂચિત જાતિયોં કે લિએ વિશેષ ઘટક યોજના) કે અંતર્ગત કંટીલે તાર સે ઘેરાન કે સાથ નદી લટ પર વૃક્ષારોપણ કા સમાપન કાર્ય (દ્વિતીય વર્ષ) કે લિએ કુલ રૂ0 42.792 લાખ (બયાલીસ લાખ ઉનાસી હજાર દો સૌ રૂપયે) માત્ર રાશિ કા ઑન લાઈન ઉપ આવંટન (Online Sub Allotment) ।

પ્રસંગ :—

વિભાગીય સ્વીકૃત્યાદેશ સંખ્યા 4 / યો0બ૦-09 / 2018-41 / સ્વી0 વ૦પ૦ રાંચી, દિનાંક—13.02.2018 એવં આવંટન આદેશ સંખ્યા—04 / યો0 બજટ—09 / 2018-32 વ૦પ૦ દિનાંક—26.04.2018 ।

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષયક પ્રસંગાધીન પત્ર કે આલોક મેં બજટ મુખ્ય શીર્ષ 2406-વાનિકી તથા વન્ય પ્રાણી, ઉપ મુખ્ય શીર્ષ—01 વાનિકી, લઘુ શીર્ષ—789—અનુસૂચિત જાતિયોં કે લિએ વિશેષ ઘટક યોજના, ઉપ શીર્ષ—59—અધિસૂચિત વન ભૂમિ કે બાહર વૃક્ષારોપણ કે અંતર્ગત વિત્તીય વર્ષ 2018-19 મેં બજટ ઉપબંધ કે અંતર્ગત સ્વીકૃત રાશિ મેં કુલ રૂ0 રૂ0 42.792 લાખ (બયાલીસ લાખ ઉનાસી હજાર દો સૌ રૂપયે) માત્ર માત્ર કા ઉપ આવંટન નિન્મલિખિત ઇકાઈયોં મેં કિયા જાતા હૈ :—

પ્રાથમિક ઇકાઈ	વિપત્ર કોડ	(રાશિ લાખ મેં)
મજદૂરી	19S240601789590103	33.232
આપૂર્તિ એવં સામગ્રી	19S240601789590323	9.560
કુલ :—		42.792

2. ઇસ રાશિ કી નિકાસી એવં વ્યયન પદાધિકારી અનુલગ્નક—1 પર વર્ણિત વન પ્રમણલ પદાધિકારી હોંગે જો અપને સમુખ અંકિત કાર્યો કી રાશિ સે અપને—અપને કાર્યાલયોં કે કાર્યો કે લિએ ઉત્તરદાયી હોંગે એવં વિભાગ કો સસમય ભૌતિક એવં વિત્તીય પ્રગતિ પ્રતિવેદન તથા ઉપયોગિતા પ્રમાણ પત્ર સમર્પિત કરોંગે। કાર્યદર અનુલગ્નક—2 તથા ઑન લાઈન ઉપ આવંટન કી પ્રતિ અનુલગ્નક—3 પર દ્રષ્ટવ્ય હૈ।



3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।



14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्या निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. नदी तट मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी, गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट ऊँचाई के पौधे लगाए जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वाससाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0-63 / 2018— 717 दिनांक— 11.06.2018
प्रतिलिपि :— अनुलग्नक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो/दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/चतरा/गिरिडीह/देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0-63 / 2018— 717 दिनांक— 11.06.2018
प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/चतरा/गिरिडीह/देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर रैखिक वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमंडल का नाम	भौतिक उपलब्धि (कि०मी०)	वित्तीय उपलब्धि		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			166166.00	47804.50	213970.50
i	ii	vii	viii	ix	x
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	5	8.308	2.390	10.698
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	5	8.308	2.390	10.698
3	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	5	8.308	2.390	10.698
4	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	5	8.308	2.390	10.698
योग :—		20.00	33.232	9.560	42.792

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing) नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि0मी0 अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38

स्पेसिंग पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3मी0 /2मी0
पौधे से पौधे की दूरी-3मी0 /2मी0
प्रति कि0 मी0 पौधों की संख्या-6000

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0.00)	सामग्री (रु0.00)	कुल व्यय (रु0.00)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	अंश पौधशाला कार्य एवं 70% ट्यूब वाले पौधों का क्रय, परिवहन इत्यादि।	6600 पौधा	45.00	10682.10	35854.50	46536.60
2	पौधा रोपण	प्रति कि0मी0	135.00	32046.30	0.00	32046.30
3	दो कोड़नी निकौनी	प्रति कि0मी0	150.00	35607.00	0.00	35607.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0मी0	180.00	42728.40	0.00	42728.40
5	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	9450.00	9450.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	1500.00	1500.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि0मी0	180.00	42728.40	0.00	42728.40
8	घेरान मरम्मति	प्रति कि0मी0	10.00	2373.80	1000.00	3373.80
योग :-			700.00	166166.00	47804.50	213970.50

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-63/2017/717

दिनांक -

11-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33928	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33929	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHHATRA	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33930	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चौहास लाख बयान्ये हजार चार सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

2,492,400.00

PCCF,DEADWOOD(MARD)RANCHI

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33931	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
5	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33932	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
6	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33933	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
योग: 1,308,800.00				
क्रमिक योग: 3,801,200.00				

योग:

रुपये अड्डतीस लाख एक हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33934	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
8	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33935	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO FOR.DIV.DEO.	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
योग:				478,000.00
क्रमिक योग:	रुपये बयालीस लाख उन्नासी हजार दो सौ			4,279,200.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DFO (JHARKHAND) RANCHI